अवध नारायण आदि विरूद्ध सचिन शर्मा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1268–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, सिरोंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 84 / अ–6 / 2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–2–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश के प्रथम भाग में पूर्व में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 3–2–14 का निराकृत करते हुए प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत किया गया है और इस कारण उन्होंने पुनः प्रस्तुत आवेदन को अमान्य किया जाये । इसके उपरांत साक्षियों के कथन अंकित कराने के स्तर पर 2 आवेदन आवेदकों की ओर से संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत किये गये । इन आवेदनों की प्रति विपक्षी को दी जाकर यह व्यक्त किया गया कि उक्त आवेदनों के कारण साक्षीगण के कथनों पर प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका और इसलिए आवेदनों पर विचार करने हेतु प्रकरण नियत किया गया है । इसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है । यह पुनरीक्षण उपरोक्त परिस्थितियों में विचारणीय नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जो कार्यवाही की है वह विधिनुसार और न्यायिक प्रकिया के अनुरूप है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । 3– उभयपक्ष सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES; COURT FEE Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES; COURT FEE Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES; COURT FEE Re.1 एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–बिदिशा

1. अवध नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री शिवनारायण श्रीवास्तव
2. अनिल श्रीवास्तव पुत्र श्री शिवनारायण श्रीवास्तव निवासी ग्राम पामाखेडी तहसील सिरोंज जिला बिदिशा (म.प्र)

—

आवेदकगण

R 1268 – I/14

विरूद्ध

21.4.14

21-4-14

1. सचिन शर्मा पुत्र शिवचरण शर्मा निवासी मौ.मण्डी वायपास रोड, सिरोंज जिला बिदिशा (म.प्र.)
2. विद्यादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ब्लॉक कालौनी ग्यारस पुर जिला बिदिशा (म.प्र.)
3. रमादेवी पत्नी कृष्ण बिहारी निवासी ग्राम ओखलीखेड़ा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.—– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार (मण्डल–2) सिरोंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 84/ए–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

21.4.14

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम पामा खेडी तहसील सिरोंज स्थित भूमि खसरा क्र. 187 रकवा 0.101 हैक्टेयर खसरा नं. 283 रकवा 0.329 हैक्टेयर, खसरा नं. 752 रकवा 0.987 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 41 रकवा 1.543 हैक्टेयर, खसरा नं. 478 रकवा 0.076 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 3.036 हैक्टेयर के